न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 73 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मनोज कुमार पि.कैलाशचन्द जाति सुथार नि. रायपुर तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचन्द पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
2. ब्रहानन्द पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
3. विष्णुप्रसाद पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
4. नन्दकिशोर पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
5. धन्ना लाल पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
6. ताराचन्द पि. कैलाशचन्द जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
7. ममता कुमारी पत्नी ब्रह्मनन्द जाति सुथार नि.रायपुर तहसील रायपुर
8. कान्ति बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी गोविन्दलाल जाति सुथार नि.रायपुर हालमुकाम चेचट तहसील रामगंजमंडी
9. शांति बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी सुरेशचन्द जाति सुथार नि.रायपुर हालमुकाम शामगढ म.प्र.
10. इन्द्राबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी लालचन्द जाति सुथार नि.रायपुर हालमुकाम सिंदूरिया
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकमचन्द कुमावत

वकील अप्रार्थी सं.1 – श्री महेन्द्र सिंह जैन

वकील अप्रार्थी सं. 2, 7 – श्रीमति फल्गुमता मिर्जा

वकील अप्रार्थी सं.3 – श्री राजेश सुथार

वकील अप्रार्थी सं.4 – श्री मिथलेश देलर

वकील अप्रार्थी सं. 5, 8, 9, 10 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

आदेश **दिनांक : 24/01/2023**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2049–52 के खाता सं. 368 की वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार भवानीशंकर पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत नामा. सं. 1170 से भवानीशंकर के वैध वारिसान पुत्र व पुत्रीयो के नाम दर्ज हुई जिसमे वादी के पिता का 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ। ग्राम रायपुर का एक अन्य खाता किता 5 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा भवानीशंकर, रामकुमार पिता भेरूलाल सुथार के सहखातेदारी मे रहा जिसमे भवानीशंकर का 1/2 हिस्सा निहित रहा। प्रार्थी का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है।

मृतक भवानीशंकर पिता भेरूलाल

पुत्र	पुत्रियां
नन्दकिशोर	कांतिबाई
कैलाशचन्द	शांतिबाई
धन्नालाल	इन्द्राबाई
विष्णुप्रसाद	
ब्रहमानन्द	

वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा एवं किता 5 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 51 बीघा 6 बिस्वा भूमि मे प्रार्थी के पिता के हिस्से 1/8 मे प्रार्थी 1/3 हिस्से का हकदार है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पुश्तैनी है जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी के पिता का दिमागी संतुलन सही नही होने एवं भोले भाले होने से भवानीशंकर के अन्य वारिसान ने गलत पारिवारिक बटवारा तय करवा लिया जिसमें अच्छी–अच्छी भूमि अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। उक्त बटवारा दूषित प्रकिया के तहत तैयार किया गया जो वाद पत्र के पेरा सं. 6 मे दर्ज है। उक्त बटवारे से प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित नही होकर प्रार्थी की बाध्यता निश्चित नही करता है इस कारण बटवारा शून्य व प्रभावहीन है। वादग्रस्त अराजी पुश्तैनी है एवं प्रार्थी वैध वारिसान है जिस कारण उसका जन्म से अधिकार है , प्रार्थी [illegible]ष्टया ठोस प्रकारण है प्रार्थी भवानीशंकर का पौत्र है जिसका [illegible] है सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि दौराने वाद अप्रा[illegible]ण विवादित अराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

अन्तरण, हस्तान्तरण, दान, बैचान, वसीयत करने मे सफल हो जाते है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी की होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा एवं किता 5 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 51 बीघा 6 बिस्वा भूमि एवं वाद पत्र के पेरा सं. 6 मे दर्ज आराजी को अन्तरण, हस्तान्तरण, दान, बैचान, वसीयत नही करें एवं राजस्व रिकार्ड की मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 879, 1097, 152, 114, 878, 300, 529 एवं जमाबंदी सं. 2057–60 खाता सं. 188 जमाबंदी सं. 2069–72 खाता संख्या 226, 223 की नकल, नामा.सं.1170, 2837 नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सं. 2049–52 की नकल पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह जैन एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 2, 7 की ओर से श्रीमति फरजाना मिर्जा एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री राजेश सुथार एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री मिथलेश टेलर एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 5, 8, 9, 10 की ओर से श्री नीलकमल त्रिवेदी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थी सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 5, 8, 9, 10 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त अराजी भवानीशंकर के नाम दर्ज थी जिसका विधिक बटवारा होकर अलग–अलग खाते में दर्ज हो गई है। प्रार्थी का सम्पूर्ण आराजी में हिस्सा नही है वरन प्रार्थी मात्र अपने पिता की वर्तमान आराजी जो कि 5 बिस्वा है, में हक मांगने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से विधिक रजिस्र्टड बटवारा दिनांक 18.08.2015 को हुआ जिसका नामा.सं. 2837 से अराजी अलग–अलग खाते दर्ज हुई जिसमे से अप्रार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द द्वारा अपना हिस्सा अन्य व्यक्तियो को बैचान कर चुका है। प्रार्थी प्रतिवादी सं. 5, 8, 9, 10 का वारिसान नही है इसलिए प्रतिवादी सं. 5, 8, 9, 10 की आराजी में प्रार्थी का [illegible] निहित नही है। प्रार्थी के पिता का विधिक रजिस्र्टड बटवा[illegible] प्रार्थी बालिग था जिसके द्वारा कोई आपति नही की हैं। अब प्रार्थी [illegible] उसके पिता द्वारा दुरभि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:32:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संधि कर अप्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना प्रत्र खारीज करने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2065-68 खाता सं. 485, 200 जमाबंदी सं. 2073-76 खाता सं.300, 152, 406, 197, 152, 1097, 878, 114 की नकले एवं नामा. सं. 2837 की नकल ,बंटवारा प्रस्ताव की छाया प्रतिया पेश की ।

अप्रार्थी सं. 3 की ओर से विशेष कथन मे निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के दावा सं. 274/2015 व प्रार्थना पत्र सं. 1095/2015 नन्दकिशोर बनाम विष्णुप्रसाद प्रकरणों का राजीनामा दिनांक 14.08.2015 के अनुसार निस्तारण हो चुका है जो प्रार्थी के जानकारी में है इस कारण प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से स्टोप्ड है एवं दावा खारीज किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 1095/2015 की आर्डर शीट एवं राजीनामा दिनांक 14.08.2015 की प्रति पेश की।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया की भवानीशंकर के खाते की भूमि का पारिवारिक बंटवारा गलत तरीके से हुआ जो कानून सम्मत नही है। अप्रार्थी नं. 1 को गुमराह करके उक्त बंटवारा किया गया। ग्राम रायपुर के खसरा नं. 1760/1 सम्पूर्ण पर अप्रार्थी नं. 1 का कब्जा चला आ रहा है जिस पर दो दुकाने लगा रखी है जिसमे बिजली ,नल कनक्शन ,बोरवेल लगी हूई है। वादग्रस्त भूमि का अन्तरण, हस्तंरण अप्रार्थी नं. 1 के साथ-साथ उसके वारिसान के अधिकारो को भी प्रभावित करेंगे इसलिये वादग्रस्त अराजी का कानूनी बंटवारा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किस्म अनुसार किया जाना आवश्यक है। अतः ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजी की मोका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं. 4 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार कर प्रार्थना प्रत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी नं. 2 व 7 की ओर से भी इसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना प्रत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी वकील श्री नीलकमल त्रिवेदी द्वारा 2018(2) RRT 1202 की न्यायिक नजीर पेश की। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त आराजी पर ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जारी रखने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 की मानसिक स्थिति के कारण अप्रार्थीगण ने गलत तरीके से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर अच्छी किस्म की भूमि अपने खाते दर्ज करवायी है। बंटवारा दूषित प्रकिया के तहत किया गया है जिससे बंटवारा स्वीकार योग्य नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त करने पर आराजी के खुर्द बुर्द एवं अन्तरण होने की प्रबल संभावना है जिसकी क्षति की पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बहस के दौरान अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 के अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात शामलाती खाते की थी जिसका पक्षकारान द्वारा अपसी सहमति से तहसीलदार के न्यायालय में विधिक बंटवारा करवाया जिसके आधार पर नामा.सं. 2837 दर्ज होकर तस्दीक किया गया। सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने पिता अप्रार्थी सं. 1 की बंटवारे में प्राप्त सम्पत्ति में अधिकार है। अन्य अप्रार्थीगण की सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दुरभि संधि कर यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में हुये विधिक बंटवारे को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण सही नहीं है , सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने से अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 की होगी। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड, अन्य दस्तावेज एवं न्यायिक नजीर का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया।

किसी भी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना न्यायहित में अति आवश्यक है कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक पक्षकार के हित में प्रथम दृष्टया प्रकरण काबिल अनुतोष है या नहीं।

इस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट है कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा तथा किता 5 रकबा 29 [illegible] बिस्वा कुल रकबा 51 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बंटवारा आपसी सहमति से न्यायालय तहसीलदार के समक्ष हो चुका है, जो कि दिनांक 18.08.2015 को ही हो चुका था; एवं सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

तहसीलदार के बंटवारा आदेश की पालना में दिनांक 07.09.2015 को नामा.सं. 2837 तस्दीक होकर आराजी अलग अलग खाते में दर्ज होकर नियमानुसार पक्षकारान के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है। यह तथ्य अदालत के सामने काबिल गौर है कि उक्त बंटवारे को प्रार्थी एवं अन्य पक्षकारान द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 का प्रार्थी वारीस भी नहीं है। उपरोक्त विवेचना के निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

किसी भी प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा की उपयुक्तता सिद्ध होने के लिये यह भी आवश्यक है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से वाजिब अधिकार प्राप्त पक्षकार को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो तथा सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया वाजिब हिताधिकारी के पक्ष में बना रहे।

इस प्रकारण में अप्रार्थी सं. 5, 8, 9, 10 द्वारा दिये गये जवाब में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य आपस में पिता–पुत्र का रिश्ता है तथा अन्य अप्रार्थीगण को असुविधा उत्पन्न करने के लिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा एकमत हो दूरभि संधि कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है; अप्रार्थी सं. 5, 8, 9, 10 के उक्त जवाब को भी अदालत द्वारा काबिल गौर पाया जाता है। साथ ही लगभग 7 वर्ष पूर्व तहसीलदार न्यायालय से हुये बंटवारे के माध्यम से समस्त पक्षकार विशेषतः अप्रार्थी सं. 1 अपने अपने हिस्से की आराजी के रिकार्डेड खातेदार बन चुके है एवं अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 के हिस्सों में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई हक स्पष्ट नहीं होता है जबकि यदि तहसीलदार के बंटवारे आदेश से हुये हिस्सों की जमीन पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो पक्षकारान को अपनी भूमि के सम्पूर्ण उपभोग में निश्चित तौर पर असुविधा उत्पन्न होगी, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से सुविधा का संतुलन बना रहना संभव नहीं है।

अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहने वाले प्रार्थी को यह सिद्ध करना अति आवश्यक है कि यदि दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रथम दृष्टया हकधारी प्रार्थी को अपूर्णनीय [illegible] [illegible] पूर्ति संभव नहीं होगी) होने की संभावना सिद्ध करनी होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थना पत्र, जवाब, प्रार्थना [illegible] एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन करने पर तथा विद्वान अभिभाषक [illegible] द्वारा की गई बहस पर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

10

मनन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता (अप्रार्थी सं.1) वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा 7 वर्ष पूर्व हुये बंटवारे (बंटवारा आदेश दिनांक 18.08.2015) से प्राप्त कर चुके है। यदि प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा प्राप्त करना भी हो तो अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई सरोकार नजर नहीं आता है। और तहसीलदार के आदेश से हुये बंटवारे के फलस्वरूप अप्रार्थीगण आज दिनांक तक गत 7 वर्षो से रिकार्डेड खातेदार है एवं प्रस्तुत नजीरो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों के मद्देनजर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से वाद चलने के लम्बे समय के दौरान रिकार्डेड भूमि का नियमानुसार सम्पूर्ण उपभोग नहीं किया जा सकेगा जिससे कि रिकार्डेड खातेदारो (अप्रार्थीगण) को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है।

आदेश

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने की स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होगी। अतः सुविधाओ को संतुलित रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

अभिषेक चारण
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.02.13 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner